HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1559/2026

Heeralal S/o Phailiram, Aged About 28 Years, R/o Dhani Chirawandya, Tan Aaluda, Police Station Paparda, District Dausa. (At Present Accused Petitioner Confined In District Jail, Dausa).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2492/2026

Vishram S/o Moolchand, Aged About 40 Years, R/o Chiravandya Dhani Tan Aluda, Police Station Paparda, District Dausa. (At Present Confined In District Jail Dausa).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Arvind Balaut Mr. Uma Shankar Pandey
For Respondent(s)	:	Ms. Aarti Sharma, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

25/02/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह दो प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना–**पापड़दा जिला–दौसा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **148/2025** अपराध अन्तर्गत धारा **189(2), 121(1), 132, 303 (2) बी.एन.एस**. में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किए गये हैं।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उन पर अपराध

अन्तर्गत धारा 189(2), 121(1), 132, 303 (2) बी.एन.एस. का आक्षेप है। अभियुक्त **हीरालाल** के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल यह अंकित किया गया है कि उसने परिवादी व जे.वी.वी.एन.एल. के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ गाली–गलौज की तथा वहां उपस्थित पुरूष व महिलाओं से गाडी की हवा निकालने एवं मारपीट करने के लिए बोला। उस पर किसी आहत के कोई उपहति कारित करने का आक्षेप नहीं है। उनका तर्क है कि किसी भी आहत के कोई गंभीर चोटें नहीं आई है। अभियुक्त **विश्राम** के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उस पर किसी व्यक्ति के कोई विशिष्ट चोट कारित करने का आक्षेप नहीं है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त हीरालाल दिनांक 14.1.2026 से तथा प्रार्थी–अभियुक्त विश्राम दिनांक 19.1.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण एवं अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उन्हें जमानत पर मुक्त किया जाये।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण पर जे.वी.वी.एन.एल. के कनिष्ठ अभियन्ता व अन्य कर्मचारी, जो लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, के राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की तथा उनके साथ मारपीट कर उपहतियां कारित कीं। उनका तर्क है कि मौके पर लगे सी.सी.टी.वी. की फुटेज में प्रार्थीगण द्वारा परिवादी पक्ष के साथ मारपीट करना दर्शित हो रहा है। मामले में अभी अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। गंभीर अपराध है। उन्हें जमानत पर मुक्त नहीं किया जाये।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 121(1), 132, 303 (2) बी.एन.एस. अभियोग है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी–अभियुक्त हीरालाल पर परिवादी पक्ष के साथ गाली–गलौज करने तथा वहां उपस्थित पुरूष व महिलाओं से गाडी की हवा निकालने एवं मारपीट करने के लिए बोले जाने का आक्षेप है। उस पर किसी आहत के कोई उपहति कारित करने का आक्षेप नहीं है। अभियुक्त विश्राम पर किसी व्यक्ति के कोई विशिष्ट चोट कारित करने का आक्षेप नहीं है। प्रकरण के आहतगण के शरीर पर जो चोटें आई हैं, वे सामान्य प्रकृति की होना पाई गई है। प्रार्थी–अभियुक्त हीरालाल दिनांक 14.1.2026 से तथा प्रार्थी–अभियुक्त विश्राम दिनांक

19.1.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण एवं अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में, इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने उचित प्रतीत होते हैं।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो–दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

JITENDRA SINGH PANWAR /37&38